

भारतीय रिजर्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

विदेशी मुद्रा विभाग FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT

विदेशी मद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42)

FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT ACT, 1999 (42 of 1999)

लाइसेंस - प्राधिकृत व्यापारी -श्रेणी II - सं. 03/2017 दिनांक: 31 अन्तबर

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 एवं इसके तहत जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, निदेशों, आदेशों और परिपत्रों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा नीचे दी गई शर्तों के तहत प्राधिकृत व्यापारी - श्रेणी II के रूप में उत्किल क्षेत्राल फाइनेक्स खेंक लिल र्य २५/1-2, प्रथम तल , भहाबीर त्रगर, धीर्ड रूली कार्यार , वाराणकी - 221 क 2 की प्राधिकृत करता है:-

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमत कार्यकलाप ही किए जाएंगे। किए जानेवाले क्रियाकलापों की सूची इस लाइसेंस के संलग्नक I में दी गई है।
- 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के संबंधित प्रावधानों अथवा समय-समय पर उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, निदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सभी पात्र विदेशी मुद्रा लेनदेन किए जाएंगे।
- अनुबंध II में दिए गए और समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किये अनुसार विवरण और/अथवा विवरणियां तत्काल और निर्धारित आवधिकता में प्रस्तुत किए जाएँ।
- 4. अनुबंध I में दिए गए कार्यकलाप रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत और समय-समय पर लिखित रूप में सूचित किए गए विशिष्ट स्थानों में ही किए जाएंगे।
- 5. लाइसेंसर्<u>ट्याची खाद्याच</u> त्रक वैध रहेगा और अवधि समाप्ति की तारीख के कम-से-कम एक माह पूर्व नवीक्ररण के लिए आवेदन न करने की स्थिति में इसकी अवधि स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- लाइसेंस को कभी भी वापस लिया जा सकता है यदि रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि (क) ऐसा करना जनहित में है अथवा (ख) प्राधिकृत व्यापारी - श्रेणी II उन शर्तों का अनुपालन नहीं कर पाता है जिसके तहत प्राधिकार दिए गए थे अथवा वह विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के किसी भी प्रावधान का अथवा इसके तहत बनाए गए किसी नियम,

्विनियम, अधिसूचना, निदेश अथवा आदेश का उल्लंघन करता है। * इसमें यह - यमा दि बेकिंग विनयमन विभाग, में कार्व कर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक

एल एम गुणे 21न

महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक

भारतीय रिजर्व बैंक.

विदेशी मुद्रा विभाग

कान ५ २

31 3td dd2 _ . 20 17

Licence-Authorised Dealer -Category-II - No. 03/2017

Date: OCTOBER 31, 2017

In exercise of the powers conferred by Section 10 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) Rules, Regulations, Notifications, Directions, Orders and Circulars issued thereunder the Reserve Bank of India hereby authorises UTKARSH SMALL FINANCE RANK LTD. S-24/1-2, FIRST FLOOR, MAHAVIE NASAR ORDERLY BAZAAR, VARANASS - 221002 as an Authorised Dealer - Category-II subject to the following conditions:-

- Authorised Dealer Category-II (AD-C-II) shall deal only in those activities in foreign exchange as specified in Annex I of
- All eligible foreign exchange transactions shall be carried out by authorised representative/s of the AD-C-II in accordance with the relevant provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 or Rules, Regulations, Notifications, Directions or Orders made thereunder from time to time.
- The statements and/or returns as given in Annex II and such other statements or returns as may be prescribed from time to time by the Reserve Bank shall be submitted promptly and at the prescribed periodicity.
- Activities as specified in Annex I shall be carried on only at the specific locations permitted by the Reserve Bank and communicated in writing from time to time.
- The licence will be valid until Permanent basis will expire on 6 c unless an application for renewal is made at least one month before the date of expiry and no rejection of the same has been communicated by the Reserve Bank.
- The licence may be revoked at any time if the Reserve Bank is satisfied that (a) it is in public interest to do so or (b) the Authorised Dealer - Category-II has failed to comply with the condition subject to which the authorisation was granted or has contravened any of the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 or any rule, regulation, notification,

direction or order made thereunder. He banking treese

* Co-terminus with the banking treese

granted by Dept of Banking Regulation, Countral

Bank of India

** Co-terminus with the banking Regulation, Countral

CHANGE MINAGEMENT AC For Reserve Bank of India

Meja General Manager/Deputy General Manager/ Assistant General Manager RESERVE BANK OF INDIA, FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT, KANPUR

of OCTOBER 2017 Dated this day 31